संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,

6 वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्य प्रदेश भोपाल,
दूरभाष क्रमांक-0755-2578491 फैक्स-3768159
ई-मेल dirhort@mp.nic.in

क्रमांक/उद्यान/वीडियों कॉन्फ्रेंस/2018-19 890 भोपाल, दिनांक 25 /01/2020

प्रति,

संयुक्त संचालक उद्यान,
संभाग ....(समस्त)
उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला/प्रक्षेत्र..........................(समस्त)।

विषय :- वीडियों क्रॉन्फ्रेस दिनांक 23.01.2020 का कार्यवाही विवरण।

----****-----

आज दिनांक 23.01.2020 को आयुक्त उद्यानिकी एवं प्रबंध निदेशक एम.पी.एग्रो. की उपस्थिति में वीडियो क्रॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, वीडियो क्रॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:-

1. पी.एम.के.एस.वाय. -

I. प्रबंध संचालक एम.पी.एग्रो. द्वारा बताया गया दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 26.06.2019 तक जो कृषक अंश राशि निर्माताओं ने प्राप्त की है, उनके प्रकरण पूर्व वर्ष के निर्देशानुसार पूर्ण किये जावे अर्थात कृषक अंश राशि प्राप्त होने पर उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्माता के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया जावें एवं अनुदान का भुगतान भी विभाग द्वारा संबंधित निर्माता कम्पनियों को किया जावें।

II. ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत भिण्ड, डिण्डौरी एवं रीवा जिलों द्वारा कृषक अंश राशि प्राप्ति शून्य है, इसी प्रकार स्प्रिंकलर सिंचाई योजनान्तर्गत अलीराजपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर एवं अनूपपुर जिलों की भी कृषक अंश राशि प्राप्ति शून्य है, इसके साथ ही सीधी जिले द्वारा भी 3.92 प्रतिशत कृषक अंश राशि प्राप्त किया गया है। उक्त जिलों के संभागीय अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर लक्ष्य पूर्ति कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा संचालनालय द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला एवं संभागीय अधिकारी की होगी।

III. सहायक संचालक उद्यान, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि **नोबल ग्रीन कम्पनी, खण्डवा** द्वारा जिले में कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस हेतु आयुक्त महोदय द्वारा एम.पी.एग्रो. के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

IV. सहायक संचालक उद्यान जिला रीवा द्वारा बताया गया कि जैन इरीगेशन कम्पनी द्वारा कृषक अंश राशि प्राप्त करने के पश्चात भी कार्य नहीं किया गया है फलस्वरूप संबंधित

कृषक का आवेदन पोर्टल से निरस्त हो गया है, उक्त प्रकरण में भी एम.पी.एग्रो. प्रबंध संचालक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

V. ड्रिप सिंचाई योजनान्तर्गत जिला उमरिया, आगरमालवा, छतरपुर, खण्डवा द्वारा आज दिनांक तक कृषकों के प्रकरणों का अनुमोदन ऑनलाईन नहीं किया गया है, उक्त जिले तत्काल अनुमोदन की कार्यवाही करें। इसी प्रकार स्पिंकलर सिंचाई योजनान्तर्गत जिला उमरिया, छतरपुर, देवास, सीहोर, टीकमगढ़ जिलों में सबसे अधिक प्रकरण अनुमोदन हेतु लंबित है। उक्त जिले दो दिवस में अनुमोदन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उन जिलों के जिला अधिकारियों के वेतन रोकने की कार्यवाही की जावेगी।

VI. सहायक संचालक उद्यान, जिला छतरपुर आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर आज दिनांक तक अवकाश पर है, अतः संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग सागर समीक्षा कर उक्त योजना में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

VII. उप संचालक उद्यान जिला धार द्वारा बताया गया कि जिले में लक्ष्यों के अभाव में प्रकरणों का अनुमोदन नहीं किया गया, उन्हें निर्देशित किया गया कि लम्बित प्रकरणों को तत्काल निरस्त करें।

VIII. उप/सहायक संचालक उद्यान, भिण्ड, मुरैना, अलीराजपुर PMKSY योजना में तत्काल प्रगति करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित जिला अधिकारियों के विरूध्द आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही शाखा प्रभारी डॉ. अग्रवाल को निर्देशित किया गया कि अलीराजपुर जिला आदिवासी क्षेत्र होने से वहां पर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें, ताकि लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

IX. उप संचालक उद्यान जिला सतना द्वारा बताया गया कि ड्रिप सिंचाई योजना के 12.8 हेक्टेयर के प्रकरण कार्य पूर्णता की जानकारी कम्पनी द्वारा अपलोड नहीं किये जाने के अभाव में निरस्त हो गये है। ऐसे प्रकरणों में एम.पी.एग्रो. के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

X. नये नियम के अनुसार पी.एम.के.एस.वाय. योजनान्तर्गत आवेदन करते समय कृषक अंश संबंधित वैधानिक दस्तावेजों, की दिनांक 27.06.2019 से आज दिनांक तक के आवेदनों पर पावती लेगेगी, इसके पूर्व के प्रकरणों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगर कोई कम्पनी द्वारा आवेदन के समय गलत जानकारी अपलोड की जाती है, तो संबंधित कम्पनी के विरूव्द आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

XI. उप संचालक उद्यान जिला होंशगाबाद द्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई योजना के अतिरिक्त लक्ष्यों की मांग की गई। अतः नये लक्ष्य जारी करते समय उक्त जिलो को लक्ष्य देने हेतु निर्देशित किया गया।

2. आर.के.व्ही.वाय. -

I. योजनान्तर्गत प्रदाय की गई राशि संबंधित जिले दिनांक 27.01.2020 तक व्यय करना सुनिश्चित करें।

II. उप/सहायक संचालक उद्यान, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, रीवा, एवं सीहोर प्लास्टिक क्रेट्स के क्रय आदेश एम.पी. एग्रो. को जारी कर आदान सामाग्री प्राप्त कर योजना की लक्ष्य पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

III. प्लग टाईप सीडलिंग संबंधित 09 जिले एवं काजू क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत 05 जिले योजना की लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें।

IV. फूलों की खेती योजनान्र्गत एम.पी.एग्रो. से प्राप्त सामाग्री के देयक सत्यापित कर संबंधित जिला अधिकारी एम.पी.एग्रो. को भेजे ताकि एम.पी.एग्रो. को प्रदाय अग्रिम राशि का समायोजन हो सकें।

V. सहायक संचालक भोपाल द्वारा प्लास्टिक लाईनिंग फार पॉन्ड हेतु राशि की मांग की गई, शाखा प्रभारी को राशि आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. एम.आई.डी.एच. -

I. सहायक संचालक उद्यान दमोह द्वारा यंत्रीकरण घटक के अन्तर्गत 80 प्रतिशत राशि व्यय की गई है, शेष राशि इसी सप्ताह व्यय करना सुनिश्चित करें। उप संचालक उद्यान डिण्डौरी द्वारा 25 प्रतिशत राशि व्यय की गई है, साथ ही सहायक संचालक उद्यान जबलपुर द्वारा राशि व्यय नहीं की गई है। उक्त जिले भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 27.01.2020 तक आवंटित राशि व्यय करना सुनिश्चित करें। चूंकि योजना के लक्ष्य एग्रो की प्रक्रिया के पूर्व जारी किये गये थे अत: पूर्व के निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। खण्डवा एवं खरगोन जिलों द्वारा बताया गया कि आज ही देयक कोषालय में लगा दिये जायेगे।

II. उप संचालक उद्यान इंदौर द्वारा सब्जी क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत दिये गये लक्ष्यों के अनुसार 21 हेक्टेयर के लक्ष्य शेष है। अत: शेष लक्ष्य वापिस लिया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार सीहोर जिले के लक्ष्य भी वापस लिये जावे।

III. उप/सहायक संचालक ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ एवं सीहोर प्लास्टिक मल्चिंग घटक में दिनांक 27.01.2020 तक लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त जिले के अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

4. राज्य योजना-

I. सब्जी एवं मसाला क्षेत्र विस्तार योजनान्तर्गत जिन जिलों को सब्जी एवं मसाला क्षेत्र विस्तार के नवीन लक्ष्य जारी किये गये है, वे जिले लक्ष्यानुसार ऑफलाईन आवेदन प्राप्त कर तत्पश्चात अपने कार्यालय से पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन अपलोड करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संबंधित जिले सब्जी एवं मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के आदान सामग्री के क्रय आदेश आज ही जारी करें, साथ ही सामग्री प्राप्त कर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें।

II. सहायक संचालक उद्यान जिला डिण्डौरी बिना संचालनालय की अनुमति के अवकाश पर जाने के संबंध में निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, अस्तु सभी जिला अधिकारी बिना संचालनालय की अनुमति के मुख्यालय से बाहर न जावें।

III. तोतापरी आम पौध रोपण के अन्तर्गत होशंगाबाद संभाग के सभी जिला अधिकारी दिये गये लक्ष्यानुसार शतप्रतिशल ड्रिप के साथ पौध रोपण करना सुनिश्चित करें। संयुक्त संचालक उद्यान संभाग होशंगाबाद निरंतर समीक्षा करते रहे, ताकि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

5. नश्वर उत्पाद की भण्डारण क्षमता में वृध्दि की योजना:-

संचालनालय द्वारा दिनांक 10.01.2020 को भेजे गये पत्र के माध्यम से योजना में प्लास्टिक क्रेट्स की मांग हेतु लेख गया था, किन्तु सिगंरौली, दमोह एवं रतलाम जिले को छोड़कर शेष जिलो से प्लास्टिक क्रेट्स की मांग अप्राप्त है। उक्त संबंधित जिले शीघ्र मांग भेजना सुनिश्चित करें। बड़वानी जिले द्वारा दिये गये लक्ष्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया साथ ही उप संचालक उद्यान द्वारा बताया गया, कि जिले को प्लास्टिक क्रेट्स की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि अगर प्लास्टिक क्रेट्स संबंधित शिकायत आपके जिले से प्राप्त होती है तो आपके विरूव्द आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, इसके साथ ही बताया गया कि योजना में कृषक अंश की राशि एग्रो में जमा नहीं होगी।

6. संरक्षित खेती-

I. योजनान्तर्गत जिला धार से 07 एवं सागर जिले के 02 कृषकों के द्वारा प्रथम वेंडर को कृषक अंश राशि जमा की जा चुकी है। अत: उक्त जिले शीघ्र कार्य आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। वर्तमान में योजना में कुल 04 वेंडर हो गये है। अत: आगामी कार्य आदेश तद्नुसार जारी करना सुनिश्चित करें।

II. संरक्षित खेती के पॉलीहाऊस/शेडनेट हाऊस घटक में हितग्राही को कृषक अंश की राशि एम.पी.एग्रो. में जमा करना अनिवार्य है, शेष अन्य सभी योजनाओं में कृषक स्वंतत्र रूप से एम.पी.एग्रो./बेण्डर को कृषक अंश की राशि निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से जमा करने हेतु स्वंतत्र रहेगा अर्थात अन्य योजनाओं में कृषक अंश एम.पी.एग्रो. में जमा करने की बाध्यता नहीं होगी।

7. आई.टी.डी.पी. योजनान्तर्गत जिले से प्रस्ताव मांगे गये थे, किन्तु कटनी, दमोह एवं सिवनी जिलों के अलावा अन्य जिलों से प्रस्ताव अप्राप्त है। संबंधित जिले 02 दिवस में प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

8. यंत्रीकरण- योजनान्र्गत सभी संबंधित जिले भिण्ड, धार, छिंदवाड़ा, सिवनी एवं पन्ना शीघ्र भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 27.01.2020 तक राशि व्यय करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9. कृषक समृध्दि योजना-

जिला धार एवं मंदसौर जिले की जांच कलेक्टर के माध्यम से चाही गई थी, उक्त जांच पूर्ण कराकर दिनांक 29.01.2020 के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।

10. अन्य बिन्दु-

I. सहायक संचालक उद्यान डिण्डौरी ज़िले द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक क्रेट्स की राशि उद्यान विकास अधिकारी द्वारा कम्पनी को प्रदाय नहीं की गई है। अस्तु सहायक संचालक उद्यान जिला डिण्डौरी संबंधित कर्मचारी के वेतन से कटोत्रा कराकर संबंधित कम्पनी को राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

II. उप संचालक उद्यान शाजापुर द्वारा पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना में प्रावधान न होने के बावजूद भी प्लास्टिक क्रेट्स क्रय करने के आदेश जारी किये गये है, जो कि योजना के प्रावधान के विपरीत है। उप संचालक उद्यान जिला शाजापुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिय गये। साथ ही बताया गया कि प्लास्टिक क्रेट्स केवल सब्जी, मसाला क्षेत्र विस्तार, नश्वर उत्पाद की भण्डारण क्षमता में वृध्दि एवं प्लास्टिक क्रेट्स की योजना में ही प्रदाय किये जा सकते है, शेष योजनाओं में नहीं।

III. मुख्यमंत्री बागवानी उद्यमी योजनान्तर्गत संरक्षित उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना में दिनांक 25.01.2020 से ऑनलाईन आवेदन शुरू हो जायेगे। उक्त योजना में व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

IV. अगली वीडियों कॉन्फ्रेंस दिनांक 30.01.2020 को समय 2.00 बजे से 4.00 बजे शाम आयोजित की जावेगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव, महोदय उपस्थित रहेंगे। अत: सभी जिला अधिकारी भौतिक वित्तीय प्रगति दिनांक 27.01.2020 तक पूर्ण कर लेवे, अन्यथा अपर मुख्य सचिव, द्वारा की गई कार्यवाही के लिये संयुक्त/उप/सहायक संचालक उद्यान, स्वयं जिम्मेदार होगे।

V. उप/सहायक संचालक दिनांक 16.01.2020 की कार्यवाही के बिन्दु क्रमांक 10 पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। पूर्व में आयोजित वीडियों क्रॉन्फ्रेंस की कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन संयुक्त संचालक उद्यान द्वारा संकलित कर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं निर्देशित किया गया कि इसकी पुनरावृत्ति न की जावे अन्यथा संयुक्त/उप/सहायक संचालक उद्यान पर कार्यवाही की जावेगी, भविष्य में समस्त पालन प्रतिवेदन संचालनालय की मेल आई.डी. **dirhort@mp.nic.in/ cmhelpline.hort@gmail.com** में दो दिवस पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

Kapadia 25/1/2020

उप संचालक उद्यान
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
म.प्र. भोपाल

पृ./उद्यान/वीडियों कॉफ्रेंस/2018-19/ 891 **भोपाल, दिनांक** 25/1/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध निर्देशक एम.पी.एग्रो. पंचानन भवन भोपाल।
2. उप/सहायक संचालक उद्यान, संचालनालय की ओर अधीनस्थ पटल से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री विक्रम शर्मा, कन्सल्टेन्ट, पी.एम.यू. विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रभारी, MPFSTS पोर्टल एम.पी. एग्रो., पंचानन भवन भोपाल।
5. जिला प्रबंधक एम.पी.एग्रो. जिला ....समस्त म.प्र.।

25/1/2020

उप संचालक उद्यान
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
म.प्र. भोपाल